निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

करण संख्या 20/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

भूनारायण पुत्र चन्दा, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी रामजीपुरा वास, नायला, तहसील मवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर।
सूरजमल पुत्र चन्द्रा
हीरालाल पुत्र चन्द्रा
जगदीश दत्तक पुत्र मूल्या
लक्ष्मण पुत्र रधुनाथ
काना पुत्र रधुनाथ
गणपत पुत्र बिरदा
सीताराम पुत्र बिरदा
ग्यारसीलाल पुत्र जैला
रामस्वरूप पुत्र जैला
रामजीलाल पुत्र जैला
फूली देवी बेवा जैला
चन्दी देवी पत्नी रामधन
समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम रामजीपुरा वास नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 09/2012 ब–उनवानी प्रभूनारायण बनाम सूरजमल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

स्थित :–

1. श्री रमेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राकेश बापलावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से।
3. श्री आर.पी.शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26.06.2025

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 09/2012 ब–उनवानी प्रभूनारायण बनाम सूरजमल व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

श्री राकेश बापलावत एवं अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से अधिवक्ता श्री आर.पी. शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।

प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 27.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तो वहां पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पीठासीन अधिकारी के कक्ष से बाहर निकलते हुये मिले ओर जब में न्यायालय में रीडर के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होने मुझे बताया कि पत्रावली पीठासीन अधिकारी के पास गई है, आप पीठासीन अधिकारी से जाकर मिलो। जब मैं पीठासीन अधिकारी के पास तारीख के संबंध में मिलने गया तो मुझसे पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आपके मुकदमें का क्या उनवान है, मेरे द्वारा मुकदमें का उनवान बताते ही पीठासीन अधिकारी ने मुझे कहा गया कि मैं रीडर को तारीख बताता हूँ, आप उनसे तारीख मालूम कर लेना, तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पीठासीन अधिकारी के कार्यालय के बाहर मुझे ऐलानिया घमकी दी कि तुम्हारे दावे का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करेगें। जिस हेतु छोटी छोटी तारीखे दे रहे है। यह सब सुनकर प्रार्थी काफी आश्चर्यचकित हो गया। वह जैसे ही पीठासीन अधिकारी से कार्यालय में जाकर मिला तो उन्होने भी यही कहा कि मैं तुम्हारे दावे का शीघ्र ही निपटारा करूंगा। यह सुनकर प्रार्थी को पूर्ण यकिन हो गया कि पीठासीन अधिकारी की अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से सांठ गांठ हो गई है और वे जल्दी ही इस मुकदमें का निपटारा करने वाले है। पीठासीन अधिकारी अपने पद एवं प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर प्रार्थी पर अनुचित दबाव डालकर न्याय के नैसर्गित सिद्वान्तों का गलत इस्तमाल कर रहे है जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नही है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 5 एव 13 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी जमवारमागढ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner